



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2( )परावि/प्रशा.1/संस्था/वि.अ./विविध/2019/ 2040 जयपुर,दिनांक:-24/10/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद समस्त।

विषय:-विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना प्रेषित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन पर दिनांक 30.9.2019 को रोक लगाये जाने से पूर्व विभाग द्वारा विभिन्न विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये है परन्तु विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभागीय आदेशों की अक्षरशः पालना नहीं की जा रही है एवं कुछ अधिकारी आज दिनांक तक भी कार्यमुक्त नहीं हुये हैं, जो कि विभागीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः आप विभागीय आदेशों के क्रम में आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुये कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करने वाले विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रपत्र में दिनांक 25.10.19 तक आवश्यक रूप से अविलम्ब प्रेषित करावे:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापित स्थान	कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं होने का कारण

(डॉ. आरूषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि:-विकास अधिकारी समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जो अधिकारी आज दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं हुये हैं वह तत्काल बिना किसी रिलीवर का इन्तजार किये बिना तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थित नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(गौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा-1)